

①

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून**

संख्या : 4069 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-02 / ई-16(स्था0)

दिनांक : 08.06.2018

--:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ड्राईंग सर्वग में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	संगणक का नाम /जन्मतिथि/जनपद	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री राम किशोर थपलियाल /14.08.1960/पौड़ी	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	परियोजना मण्डल, देहरादून	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 13 (6) में निहित प्राविधानानुसार

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति /पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।



2

-2-


8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0केशर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्या: 4069 / प्र0अ0 / सिं0वि / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) यांत्रिक, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, रुड़की।
5. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, हरिद्वार।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com अपलोड हेतु।
8. कट फाईल।


(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (का0-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता
8/6/18

8/6/18

3

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून**

संख्या : 4070 / प्र0अ0 / सि0वि / का0-02 / ई-16(स्था0)

दिनांक : 08.06.2018

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ड्राईंग सर्वे में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	संगणक का नाम /जन्मतिथि/ जनपद	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
01	श्री जगदीश प्रसाद /02.06.1968 /बागेश्वर	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), हल्द्वानी	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 10 (क) (ख) में निहित प्राविधानानुसार	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति /पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।



8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0केशर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्या: 4070/प्र0अ0/सि0वि/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर- I), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
2. मुख्य अभियन्ता (स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com अपलोड हेतु।
7. कट फाईल।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (का0-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8/6/19

5

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून**

संख्या : 4069 / प्र0अ0 / सि0वि / का0-02 / ई-16(स्था0)

दिनांक : 08.06.2018

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ड्राईंग सर्वंग में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	संगणक का नाम /जन्मतिथि/ जनपद	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है	अधिनियम में निहित प्राविधान सुगम क्षेत्र में वापसी का वर्ष
01	02	03	04	05	06
01	श्री गणेश चन्द्र / 20.07.1970 / अल्मोड़ा	परियोजना मण्डल, देहरादून	सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 07 (क) (ख) में निहित प्राविधानानुसार	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 10 साल जो भी पहले हो

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त करना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति /पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

7

[Handwritten Signature]

8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0केशर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्या: 4068/प्र0अ0/सि0वि/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी।
4. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com अपलोड हेतु।
7. कट फाईल।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (का0-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8/6/10

8/6/10

(2)

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून**

संख्या : 4067/प्र0अ0/सि0वि/का0-02/ई-16(स्था0)

दिनांक : 08.06.2018

—:कार्यालय—ज्ञाप:—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ड्राईंग सर्वंग में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	संगणक का नाम /जन्मतिथि/जनपद	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है	अधिनियम में निहित प्राविधान सुगम क्षेत्र में तापसी का वर्ष
01	02	03	04	05	06
01	श्री महेन्द्र सिंह जलाल /30.10.1966 /अल्मोड़ा	मुख्य अभियन्ता स्तर- I, हल्द्वानी	सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 07 (क) (ख) में निहित प्राविधानानुसार	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 10 साल जो भी पहले हो

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति /पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।



8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0केशर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्या: 4067/प्र0अ0/सि0वि/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर- I), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
2. मुख्य अभियन्ता (स्तर- II) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (का0-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8/6/10

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून

9

संख्या : 4066 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-02 / ई-16(स्था0)

दिनांक : 08.06.2018

:-कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ड्राईंग सर्वंग में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	संगणक का नाम /जन्मतिथि/ जनपद	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है	अधिनियम में निहित प्राविधान सुगम क्षेत्र में वापसी का वर्ष
01	02	03	04	05	06
01	श्री ओमपाल सिंह / 11.12.1963 / बिजनौर	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 07 (क) (ख) में निहित प्राविधानानुसार	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 10 साल जो भी पहले हो

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति /पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।



8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0केशर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्या: 4066 / प्र0अ0 / सिं0वि / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-11), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।


(मोहन चन्द्र पाण्डेय)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (का0-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8/6/19